

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण के बाद सबसे पहले आज किसान सम्मान निधि की सत्रहवीं किस्त जारी करने की फाइल पर हस्ताक्षर किये। इसके जरिये 9.3 करोड़ किसानों के खाते में बीस हजार करोड़ रुपये दिये जाएंगे। किसान सम्मान निधि के फाइल पर हस्ताक्षर करने के बाद प्रधानमंत्री ने किसान कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि वह आने वाले समय में किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए और भी अधिक काम करना चाहते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि देशभर के अपने किसान भाई बहनों का जीवन आसान बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। यह उनके लिए सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद पहला काम उनके लिए ही करने का अवसर मिला है।

जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल वहां के रियासी जिले में हुए आतंकवादी हमले के मृतकों के निकट परिजन को 10-10 लाख रुपये और घायलों को पचास-पचास हजार रुपये की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की। इस हमले में कुल दस लोगों की मौत हुई है, जिनमें से दो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। हमले में मेरठ, बलरामपुर, वाराणसी, गोरखपुर समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों के दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं। वहां के अस्पताल में घायलों से मिलने के बाद उप-राज्यपाल ने कहा कि आतंकी हमले जैसे अनुचित प्रयासों से सख्ती से निपटा जाएगा और आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रदेशके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि अपर मुख्य सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक को जम्मू कश्मीर के स्थानीय प्रशासन से सम्पर्क कर प्रदेश के घायलों के समुचित उपचार और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।

इस बीच, आतंकी हमले में गोरखपुर जिले के एक ही परिवार के चार घायलों के घर पहुंच कर गोरखपुर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने उन्हें मुख्यमंत्री की तरफ से सहायता राशि का चेक प्रदान किया। इस मौके पर जिला प्रशासन और पुलिस से जुड़े अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे।

एक जुलाई से लागू किये जा रहे नये आपराधिक कानून का प्रदेश की पुलिस द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म के जरिये जनहित में व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये भारतीय न्याय संहिता-2023 में छिन्ती संबंधी नये कानून के बारे में बताया है। पुलिस के अनुसार इस नये कानून के मुताबिक चैन व मोबाइल छीनने जैसे अपराधों के लिए धारा 304 के तहत तीन साल तक की सजा हो सकती है। यदि यह अपराध करने वाला किसी गैंग का सदस्य है तो उसे धारा 112 के तहत कम से कम एक साल और अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान है। पुलिस ने एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये बताया है कि नये आपराधिक कानून के मुताबिक सात वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले सभी अपराधों में फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य कर दिया गया है।

रामपुर जिले के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने चर्चित डूंगरपुर प्रकरण के एक अन्य मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां को बरी कर दिया है। वर्ष 2019 में दर्ज इस मामले में आज न्यायधीश डॉ विजय कुमार की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया। पूर्व कैबिनेट मंत्री सीतापुर जिला कारागार से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट के समक्ष पेश हुए। इस मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां समेत नौ लोगों पर वर्ष 2016 में घर में घुस कर गाली गलौज, जान से मारने की धमकी, कीमती सामान तोड़ने और 3000 रुपये की नकदी लूटने का आरोप लगाया गया था।

बलिया जिले में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रखर समाजवादी चिंतक और पूर्व सांसद स्व गौरीशंकर राय का आज जन्म शताब्दी समारोह गौरीशंकर राय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मनाया गया। इस मौके पर जनपद के जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजीत कुमार गुप्ता ने बतौर मुख्य वक्ता कहा कि राजनीतिक जीवन में ऐसे व्यक्ति विरले ही पाए जाते हैं। स्वर्गीय गौरीशंकर राय ने न केवल सकारात्मक विरोध की परम्परा की बुनियाद रखी, बल्कि उनकी दृष्टि में रचनात्मकता भी कूट कूट कर भरी थी। सभा को गढ़वाल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर लल्लन सिंह ने भी सम्बोधित किया। उन्होंने चंद्रशेखर विश्वविद्यालय से मांग की कि स्वर्गीय गौरीशंकर राय के नाम पर एक शोध विंग बनाया जाए। इस मौके पर गौरीशंकर राय स्मृति समिति के अध्यक्ष शारदानंद राय ने भी उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान महाविद्यालय के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को मेडल भी प्रदान किये गये।

गाजीपुर जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर बाराचंवर क्षेत्र में चैनल नम्बर तीन सौ उन्नीस के पास खड़े डंपर में अयोध्या से आ रही श्रद्धालुओं की तेज रफ्तार बस टकरा जाने से चार लोगों की मौत हो गयी, जबकि डेढ़ दर्जन लोग घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस में सवार सभी यात्री अयोध्या से दर्शन कर अपने घर बिहार जा रहे थे।
